रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1 , 1999/चैत्र 11, 1921
No. 170] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1999/CHAITRA 11, 1921

Indiacode

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1999

का. आ. 210(अ).—राष्ट्रपति, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 1999 (1999 का 2) द्वारा यथा संशोधित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (25 का 1990) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (अंश कालिक सदस्यों की पदावधि कम करना) आदेश, 1999 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. प्रसार भारती बोर्ड के अंशकालिक सदस्यों की पदावधि क्रमशः, पहले एक तिहाई सदस्यों के वर्ग की 22 नवंबर, 2003 को, अंशकालिक सदस्यों के दूसरे एक तिहाई वर्ग की 22 नवंबर, 2001 को और अंशकालिक सदस्यों के तीसरे एक तिहाई वर्ग की 22 नवंबर, 1999 को समाप्त होगी।

3. पैरा 2 के प्रयोजन के लिए अंशकालिक सदस्यों के नाम सार्वजनिक रूप से लॉट द्वारा निकाल कर चुने जाएंगे।

4. केन्द्रीय सरकार सभी अंशकालिक सदस्यों के नामों को समाविष्ट करते हुए लॉट ऐसी रीति से निकालेगी जिससे कि लॉट से निकाले गए पहले और दूसरे नामों से 22 नवंबर, 2003 को निवृत्त होने वाले पहले वर्ग का गठन होगा, लॉट से निकाले गए तीसरे और चौथे नामों से 22 नवंबर, 2001 को निवृत्त होने वाले दूसरे वर्ग का गठन होगा और शेष बचे हुए नामों से 22 नवंबर, 1999 को निवृत्त होने वाले तीसरे वर्ग का गठन होगा।

[फा. सं. 15/18/98-पीबीसी]

के. एस. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1999

S. O. 210 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) read with sub-section (3) of section 6 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) as amended by the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Ordinance, 1999 (2 of 1999), the President hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Prasar Bharati (Curtailment of Term of Office of Part-time Members) Order, 1999.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The term of office of the first one third of the Part-time Members of the Prasar Bharati Board shall expire on the 22nd day of November, 2003, the second category of one third of the Part-time Members on the 22nd day of November, 2001 and the third category of one third of the Part-time Members on the 22nd day of November, 1999, respectively.

3. For the purpose of paragraph 2, names of the Part-time Members shall be chosen by draw of lots in public.

4. The Central Government shall draw lots comprising all the names of the Part-time Members in such manner that the first and second names drawn from the lot shall constitute the first category retiring on the 22nd day of November, 2003, the third and fourth names drawn from the lot shall constitute the second category retiring on the 22nd day of November, 2001 and the rest constitute the third category retiring on the 22nd day of November, 1999.

[F. No. 15/18/98-PBC]

K. S. SARMA, Jt. Secy.

971 GI/99

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode